न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 82/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. फतेह खॉ पुत्र सुराब खॉ जाति–मुसलमान, निवासी– मसूरिया, तहसील–भणियाणा जिला जैसलमेर।		उप तहसीलदार, फलसूण्ड जिला जैसलमेर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2019 जो जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 09/2018 अनवान फतेह खॉ बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री धर्माराम प्रजापत, अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 20 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजमथाई के द्वारा उप तहसीलदार फलसूण्ड के समक्ष धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत सम्वत 2073 की टी.पी. रिपोर्ट अनुसार प्रकरण पेश करते हुए बताया कि अपीलान्टस ने ग्राम मसुरिया के ख0सं0 273 गै0मु0आगोर की भूमि में से 04 बीघा भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करते ग्वार काश्त किया है तथा उनके द्वारा पूर्व के वर्ष में अतिक्रमण किया था। जिस पर उप तहसीलदार फलसूण्ड ने प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्ट को अतिक्रमी होना मानते हुए अतिक्रमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने एवं आदतन अतिचारी मानते हुए तीन माह की सिविल जेल की सजा से दण्डित करने के आदेश दिनांक 20.02.2018 को पारित पारित किये एवं जुर्माना आरोपित किया गया। उपतहसीलदार फलसूण्ड के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर, जैसलमेर के न्यायालय के समक्ष पेश की। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2019 को प्रथम अपील को अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

यथावत रखा जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील दिनांक 21.06.2019 को पेश की गई।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से तथा कानूनी व वाक्याती भूल करने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गैर हाजरी में एकपक्षीय पारित किया गया है क्योंकि अपीलान्ट को नोटिस ही नहीं दिया और मिलावटी तामील दर्शाई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया था, उक्त वर्णित खसरान भूमि के लगती अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, परन्तु सीमाज्ञान के अभाव में काश्त कर ली गई तो इसे अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में गै0मु0 आगोर वर्णित की गई थी जिसके लिये धारा 91 (6) भू राजस्व अधिनियम की प्रक्रिया है जो अपनाये बिना ही प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान लिये बिना, बिना निष्पक्ष गवाह के बयान लिये, महज रिपोर्ट पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा छोड दिया था, ऐसे में कब्जा छोडने से धारा 91 का जुर्म ही नहीं बनता है। अपीलान्टस ने 06–07 दिन की न्यायिक अभिरक्षा भुगत चुका है एवं कब्जा छोड दिया है। आयन्दा भविष्य में कब्जा नहीं करेगा, इस आशय की सहमति देता है जिससे न्यायहित में भुगती हुई सजा व जुर्माना आरोपित से शेष सजा भुगताने से रोका जावें। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमशः दिनांक 31.05.2019 एवं दिनांक 20.02.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा ग्राम मसुरिया तहसील भणियाणा के गैर मुमकीन आगोर की 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर मूंग काश्त किये जाने से तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए उसके विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिस पर उपतहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्टस के विरूद्ध जुर्माना आरोपित किया गया एवं 03 माह की सिविल जेल

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से दण्डित किया गया है जो विधि अनुकूल पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को अस्वीकार करने का आदेश भी यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्टस की प्रथम अपील में दर्शाये गये तथ्यों एवं धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए हुए ही उप तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा पारित आदेश को उचित माना है। अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट राजकीय भूमि पर आदतन अतिक्रमी होना भी पाया गया है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में ऐसे कोई नये तथ्य नहीं दर्शाये गये है जिससे उनकी अपील को स्वीकार की जा सके। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर तथा प्रकरण का गहनता से परीक्षण के पश्चात अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर